न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, अयोध्या।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं.–139/2026
Computer Registration No–1003/2026
C.N.R. No. UPFZ0–1002894–2026

1. **मो०तनवीर अंसारी** आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र मो० अख्तर हुसैन अंसारी निवासी 69 डी ट्रांसपोर्ट नगर, महेवा, बर्गो, गोरखपुर उ०प्र० .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य .....विपक्षी

मु.अ.सं.–62/2026
धारा– 419, 420, 467, 468, 471, 506 IPC
थाना–कोतवाली बीकापुर, जिला अयोध्या।

अग्रिम जमानत आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त **मो०तनवीर अंसारी** द्वारा मु.अ.सं.–62/2026 अंतर्गत धारा– 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं०, थाना–कोतवाली बीकापुर, जिला अयोध्या के प्रकरण में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. सत्र न्यायाधीश अयोध्या के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज होने के उपरांत अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त कराया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण का न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष यह प्रथम अग्रिम प्रार्थना पत्र जमानत है इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निर्णीत है। वह कत्तई निर्दोष है एवं मुकदमा उपरोक्त में हैरान परेशान किये जाने हेतु झूंठा एवं फर्जी फंसाया गया हैं। वादी मुकदमा एवं प्रार्थी एक ही परिवार व गांव के रहने वाले हैं। प्रार्थी द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे प्रार्थीगण को कथित अपराध का दोषी कहा जा सके। प्रार्थी द्वारा वादी मुकदमा के उक्त फर्म मेसर्स शादाब ट्रेडर्स एवं उसके GST Number से किसी प्रकार का कोई लेनदेन कभी भी नहीं किया गया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का अनुचित लाभ न तो खाते में और न ही नगद प्राप्त किया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कूटरचना अथवा धोखाधड़ी वादी मुकदमा के साथ नहीं किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मुकदमा उपरोक्त की धाराएं संज्ञेय एवं अजमानतीय प्रवृत्ति की है। प्रार्थीगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने का भय है। अतः उसे जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

3. वादी मुकदमा राजू अंसारी द्वारा न्यायालय सिविल जज सी.डि तृतीय/ए.सी.जे.एम अयोध्या के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में पारित आदेश के

Digitally signed by JANARDAN PRASAD YADAV
Date: 2026.07.01 19:14:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अनुपालन में दिनांक 16.02.2026 को थाना कोतवाली बीकापुर पर मुकदमा अपराध संख्या 62/2026 पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी टिम्बर का कार्य करता है और उसके लिए मेसर्स शादाब ट्रेडर्स बजुरहट बीफापुर अयोध्या के नाम से वर्ष 2022 में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फैजाबाद में कराया था जिसका नं0–09BEUPA1830 D2ZP है। प्रार्थी अपना व्यवसाय बीकापुर क्षेत्र में करता रहा। तनवीर अंसारी जो शुरू से ही अपनी बुआ आमिना खातून के निवास गोरखपुर में मेहेवा ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर (ओल्ड टायर शाप) के यहां रहकर एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है और वहां के प्रतिष्ठित अधिवक्ता के साथ रहकर इनकम टैक्स व सेल टैक्स का कार्य करता है। तनवीर अंसारी दूर का परिवारीजन होने के कारण प्रार्थी के उपरोक्त प्रतिष्ठान बीकापुर पर आता था, उसने प्रार्थी से कहा कि मैं जीएसटी का कार्य करता हूँ मैं आप का जीएसटी रिटर्न दाखिल कर दूँगा, उसकी बात पर विश्वास करके, प्रार्थी ने अपना जीएसटी, आईडी व पासवर्ड बता दिया। प्रार्थी का जीएसटी रिटर्न जुलाई 2022 तक तनवीर द्वारा दाखिल किया गया। प्रार्थी अपना उपरोक्त व्यवसाय नहीं चला पा रहा था, इसलिए उसने अपना जीएसटी नम्बर को बन्द करने हेतु तनवीर अंसारी से कहा, तो उसने कहा कि आप चिन्ता न करे मैं आपका जीएसटी नम्बर बन्द कर दूँगा। कुछ समय पश्चात उसने बताया कि आपका जीएसटी नम्बर मैंने बन्द करवा दिया है। जब कि तनवीर अंसारी ने प्रार्थी के बिना जानकारी के प्रार्थी के जीएसटी नम्बर की आईडी, मोबाइल नम्बर, बदल कर प्रार्थी के प्रतिष्ठान का पता बदल कर स्वयं शादाब ट्रेडर्स के नाम से धोखाधड़ी से फर्जी तरीके से अपना स्वयं का व्यवसाय करने लगा। प्रार्थी को जीएसटी विभाग फैजाबाद की एक नोटिस दिनांकित 20.12.2024 प्राप्त हुई तब ज्ञात हुआ कि तनवीर अंसारी ने मेरे साथ धोखाधड़ी व फ्राड किया है तथा मेरे जीएसटी को बन्द नहीं कराया। गलत तरीके से पता बदल कर स्वयं व्यवसाय कर रहा है। प्रार्थी के प्रतिष्ठान के एकाउन्ट में कोई भी पैसा जुलाई 2022 से नहीं आया है इसका सारा व्यवसाय ही तनवीर अंसारी द्वारा किया गया है। तनवीर अंसारी ने जानबूझकर बदनीयती से धोखाधड़ी करने की नियत से आईडी पासवर्ड, मोबाइल नम्बर, पता सब फर्म का बदल दिया जो की एक गम्भीर अपराध है। प्रार्थी को जब फ्राड की जानकारी हई तो पहले जीएसटी विभाग फैजाबाद गया और यहां पर सूचना दिया तो वहीं से तनवीर अंसारी के मोबाइल नम्बर जमा कर देगें तथा शादाब ट्रेडर्स के नाम से जो जीएसटी में दर्ज है उसे बन्द करा देते। 8127019926 पर बातचीत हुई तो उसने गलती मानी और उसने कहा कि जो टैक्स है उसे जमा कर देंगे तथा शादाब ट्रेडर्स के नाम से जो जीएसटी में दर्ज है उसे बन्द करा देंगे। विपक्षी तनवीर अंसारी परिवारीजन होने के कारण उसके पिता मो अख्तर अंसारी से भी शिकायत किया तो उन्होंने कहा कि तनवीर गलत कर रहा है। उसे हम समझायेगे। इसी बात को लेकर गांव में 11 अगस्त 2025 को पंचायत हुई जिसमें तनवीर थे वहां पर भी तय हुआ कि 10 दिन में तनवीर, राजू अंसारी की फर्म के नाम पर जो कार्य किया है उसका पूरा टैक्स जमा कर देगा और उसे बन्द करा देगा। परन्तु उसने कुछ किया नहीं। उल्टे तनवीर व उसके पिता मो अख्तर हुसैन अंसारी व उसके भाई मो महफून अंसारी, मो जीमल अंसारी व मो शोएब अंसारी तथा उसकी बुआ आमिना खातून बराबर प्रार्थी के टेलीफोन नं–7607078786 व भाई मो अरमान अंसारी के मोबाइल नं–7388821988 व पत्नी के फोन नम्बर– 9508473858 पर बीकापुर में धमकी दिया है कि यदि तनवीर के खिलाफ कोई

लिखा पढ़ी या पुलिस में रिपोर्ट की, तो तुम्हें व तुम्हारे परे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थी के साथ काफी बड़ा फ्राड हुआ है। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बीकापुर व पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा जीएसटी विभाग फैजाबाद को सूचना दिया है। स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर दिनांक 03.10.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को जरिये स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र दिया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

4. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खाते मे कोई जी.एस.टी का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को एक भी पैसे का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को फर्जी तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। किसी भी अभिलेख में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी के खाते में कोई पैसा नहीं आया है। हरीराम व वादी मुकदमा राजू अंसारी द्वारा मिलकर उसे फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त उक्त प्रकरण में मुख्य अभियुक्त है। अभियुक्त हरीलाल के यहां काम करता था और उन्हीं के आफिस से जी.एस.टी रिटर्न फाइल करता था। वादी ने अभियुक्त से वर्ष 2022 मे कहा था कि हमारी फर्म का जी.एस.टी बन्द कर दीजिए परन्तु अभियुक्त द्वारा फर्म बन्द न करके फर्म का नाम व मोबाइल नम्बर बदलकर व्यवसाय किया गया है तथा पुनः वर्ष 2025 में वादी का मोबाइल नम्बर जोड़ा गया है। शादाब ट्रेडर्स द्वारा 64 अन्य फर्म से व्यवसाय किया गया है। जिसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त जो वादी मुकदमा की फर्म मेसर्स शादाब ट्रेडर्स का जी.एस.टी फाइल करता था, के द्वारा फर्म का नाम बदलकर शादाब ट्रेडर्स किया गया तथा वादी मुकदमा का मोबाइल नम्बर बदलकर स्वयं का मोबाइल नम्बर जोड़ा गया है तथा जी.एस.टी की बकाया धनराशि की वसूली की नोटिस वादी को प्राप्त होने पर जानकारी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है वादी ने जब अभियुक्त के परिवारीजन से उक्त फ्राड के बारे में शिकायत किया तो उसके परिवारीजनों ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दिया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि हरीराम तथा आवेदक/अभियुक्त के बीच टेलीफोन से बहुत बार बात हुई है। अब तक की विवेचना में इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं हो सकी है कि मेसर्स शादाब ट्रेडर्स के नाम से फर्म अस्तित्व मे है या नही, फर्म के विघटन का कोई साक्ष्य विवेचक द्वारा संकलित नहीं किया गया है। अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रारंभिक फर्म का नाम मेसर्स शादाब टिम्बर था जिसमे परिवर्तन करते हुए दिनांक 06.04.2023 को उक्त फर्म का नाम मेसर्स शादाब ट्रेडर्स किया गया। केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, फैजाबाद के कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार दिनांक 06.04.2023 को फर्म के नाम में बदलाव

किया गया तथा नाम बदलकर मेसर्स शादाब ट्रेडर्स किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मेसर्स शादाब ट्रेडर्स नाम मे परिवर्तन करते हुए मेसर्स शब्द हटाया गया है, अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त पत्र मे प्रारंभिक फर्म का नाम मेसर्स शादाब टिम्बर जी.एस.टी नम्बर 09BEUPA1830D2ZP है जो वादी मुकदमा के नाम से पंजीकृत रहा है जिसका प्रारंभिक मोबाइल नम्बर 8960470863 था उपरोक्त जी.एस.टी नम्बर दिनांक 28.03.2022 से 06.01.2026 तक सक्रिय रहा है। अब तक की विवेचना मे परिवर्तित किये गये मोबाइल नम्बर के सिम होल्डर के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा फर्म के नाम मे परिवर्तन करके उसी फर्म के नाम से व्यवसाय करने के संबंध में होने वाले लेन देन तथा उससे संबंधित बैंक अकाउण्ट के संदर्भ मे भी कोई विवेचना नहीं की गई है और न ही आवेदक/अभियुक्त के किसी भी अकाउण्ट मे लेन देन के संबंध मे कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया मे प्रयुक्त ओ.टी.पी. की जानकारी आवेदक/अभियुक्त को होने के विषय मे भी स्पष्ट साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र आरोप पत्र दाखिल होने तक स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मो०तनवीर अंसारी** द्वारा मु.अ.सं.–62/2026 अंतर्गत धारा– 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं०, थाना–कोतवाली बीकापुर, जिला अयोध्या में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आरोप पत्र दाखिल होने तक स्वीकार किया जाता है।

यदि आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है तो उसके द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष मुबलिग 50000–50000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र तथा उसी धनराशि की दो जमानत दिये जाने पर अविलंब रिहा कर दिया जाए।

1. आवेदक/अभियुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान बिना विधि सम्मत कारण के, सुनवाई की तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
4. न्यायालय के आदेश से होने वाली गिरफ्तारी की स्थिति में यह आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा।

(जनार्दन प्रसाद यादव)
J.O. CODE– UP 6431
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं.–3, अयोध्या

दिनांक–01.07.2026